

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 02/2009 – आ०नि०

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बनाम  
जहाजपुर तहसील जहाजपुर

1. श्री गजेन्द्र प्रसाद पिता रतनलाल  
महाजन निवासी पण्डेर तहसील  
जहाजपुर

–प्रार्थी

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम, 1970

उपस्थित –

1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री कुन्दन शर्मा अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

## निर्णय

दिनांक 18.11.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर के जांच प्रतिवेदन के संदर्भ में विपक्षी के विरुद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 05.08.1989 को ग्राम पण्डेर की आराजी सं. 4851/2/40 संशोधित नं. 4851/52 रकबा 6.05 बीघा किस्म बंजड़ द्वितीय कृषि प्रयोजन हेतु आवंटन की गयी थी। महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर ने पत्रांक/भ्र.नि. ब्यूरो/अ.शा. 03/08/8241-43 दिनांक 17.10.2008 से जांच के दौरान निम्न बिन्दु अंकित करते हुए नियम विरुद्ध भूमि का आवंटन होना करार दिया जाकर नियम विरुद्ध भूमि आवंटन को निरस्त कराने की कार्यवाही बाबत जिला कलक्टर भीलवाडा को पत्र प्रेषित किया गया।

1. वर्ष 1989 से पूर्व श्री रतनलाल तांबी के पास कुल 109 बीघा 11 बिस्वा भूमि थी। इस भूमि को तीन पुत्रों एवं दो पुत्रियों तथा स्वयं के हिस्से में कुल 6 हिस्सों में बांटने पर प्रत्येक के हिस्से में 18 बीघा 05 बिस्वा भूमि आती हैं।
2. दिनांक 05.08.1989 को श्री रतनलाल ताम्बी ने स्वयं आवंटन कमेटी का सदस्य रहते हुए अन्य सदस्यों से मिलीभगत कर श्री कल्याणमल मीणा, प्रधान पंचायत समिति जहाजपुर के लिखित विरोध के उपरान्त भी अपने पुत्र श्री गजेन्द्र प्रसाद को 06 बीघा 05 बिस्वा, राजेन्द्र प्रसाद को 06 बीघा 05 बिस्वा तथा अपने भतीजे अखिलेशचन्द्र को 05 बीघा, सुरेश चन्द्र को 05 बीघा कुल 22 बीघा 10 बिस्वा राजकीय भूमि आवंटित करवा दी जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	नाम	1989 से पूर्व भूमि	आवंटित भूमि	कुल भूमि
1	श्री रतनलाल ताम्बी	18 बीघा 05 बिस्वा	–	18 बीघा 05 बिस्वा
2	श्री राजेन्द्र प्रसाद	23 बीघा 10 बिस्वा	06 बीघा 05 बिस्वा	29 बीघा 15 बिस्वा
3	श्री गजेन्द्र प्रसाद	23 बीघा 10 बिस्वा	06 बीघा 05 बिस्वा	29 बीघा 15 बिस्वा
4	श्री अखिलेश चन्द्र	–	5 बीघा	5 बीघा
5	श्री सुरेशचन्द्र	–	5 बीघा	5 बीघा

3. भू राजस्व नियम 1970 के प्रावधानानुसार यह आवंटन 15 बीघा से कम भूमि वाले कृषक/व्यक्ति को ही किया जा सकता था व आवंटन पश्चात् आवंटी के पास कुल भूमि 15 बीघा से अधिक नहीं हो सकती थी।
4. इस प्रकार श्री रतनलाल ताम्बी ने अपने दोनों भतीजों श्री अखिलेशचन्द्र व श्री सुरेशचन्द्र के कृषक न होते हुए भी तथा स्वयं समिति के बैठक में उपस्थित रहकर उपरोक्तानुसार भूमि आवंटित करायी जो नियमानुसार अवैध हैं।
5. स्पष्टतः आवंटन से पूर्व श्री रतनलाल ताम्बी के दोनों पुत्र 15 बीघा से अधिक भूमि के स्वामी होने के कारण उक्त भूमि आवंटन हेतु अपात्र थे, फिर भी इन्हें श्री रतनलाल ताम्बी के प्रभाव का इस्तेमाल कर अनियमित आवंटन किया गया।
6. आवंटन समिति का स्वयं सदस्य होते हुए भी श्री रतनलाल ताम्बी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए आवंटन समिति की बैठक में उपस्थित रहकर अपने दो पुत्रों एवं अपने दो भतीजों के नाम कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 11 एवं नियम 12 का स्पष्टतः उल्लंघन कर अनियमित रूप से भूमि का आवंटन करवाया।
7. नियम विरुद्ध आवंटन कर अनुचित लाभ प्राप्ति के प्रथम दृष्टया प्रमाण उपलब्ध होने के कारण ब्यूरो द्वारा श्री ताम्बी व अन्य के विरुद्ध चालान प्रस्तुत करने की कार्यवाही प्रस्तावित है।

उक्त आवंटन के पश्चात् भूमि आवंटी श्री गजेन्द्र प्रसाद पिता रतनलाल महाजन निवासी पण्डेर को सुपूर्द कर दी गयी थी तब से ही राजस्व अभिलेख में भूमि आवंटी के नाम अभिलिखित हैं। मूल आवंटन पत्रावली अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा द्वारा तलब किये जाने से उपलब्ध नहीं हैं। निवेदन है कि नियम विरुद्ध आवंटन निरस्त कराया जावे।

प्रार्थना पत्र दिनांक 02.01.2009 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया तथा विपक्षी को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किए गए। विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को आवन्टन सलाहकार समिति ने दिनांक 05.08.1989 को ग्राम पण्डेर की आराजी सं. 4851/2/40 संशोधित नं. 4851/52 रकबा 6.05 बीघा किस्म बंजड़ द्वितीय कृषि प्रयोजन हेतु आवंटन की गयी थी। उक्त भूमि आवंटन को महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर ने पत्रांक/भ्र.नि. ब्यूरो/अ.शा. 03/08/8241-43 दिनांक 17.10.2008 से जांच के दौरान नियम विरुद्ध भूमि का आवन्टन होना करार दिया जाकर नियम विरुद्ध भूमि आवंटन को निरस्त कराने की कार्यवाही बाबत आवश्यक उपक्रम किये जाने हेतु जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा को लिखा गया जिसके संदर्भ में तहसीलदार जहाजपुर ने कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

विपक्षी अधिवक्ता ने बहस में बताया गया कि विपक्षी को सन् 1989 में विवादित भूमि का अलोटमेण्ट कर दिया गया। उस प्रासेसिंग में विपक्षी के पिता ने भाग नहीं लिया है और सरपंच व अलोटमेण्ट कमेटी के तत्समय सदस्य ने भूमि निजाई विपक्षी को अलोटमेण्ट करने में मतभेद होने से मामला जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा को रेफर किया गया। जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा के अन्य दो सदस्य के ऐतराजों का निराकरण करते

हुये विवादित भूमि का अलोटमेण्ट विपक्षी को किया गया है। ऐसी स्थिति में जब भूमि निजाई का अलोटमेण्ट ही जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा द्वारा विपक्षी को हुआ है तो यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) का इस न्यायालय में समायत योग्य न होकर खारिज योग्य है। इस न्यायालय में पूर्व में राजकीय अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) प्रकरण सं. 143/92 आ.नि. निर्णय दिनांक 08.12.1995 को सारहीन होने से अस्वीकार किया गया था। इस निर्णय में न्यायालय ने माना कि उक्त आवंटन जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा द्वारा किये जाने से अलोटमेण्ट का निरस्तीकरण इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। सरकार इस अलोटमेण्ट से क्षुब्ध थी व है तो उसे उस आदेश दिनांक 08.12.1995 के विरुद्ध अपील करनी चाहिये थी मगर न तो कोई अपील हुयी है व न की गयी है।

प्रार्थी द्वारा पूर्व प्रकरण सं. 143/92 आ.नि. के तथ्यों को रिपिट कर पुनः यह प्रकरण पेश किया जो रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्तानुसार पोषणीय नही होने से खारिज योग्य है।

विपक्षी को विवादित भूमि के अलोटमेण्ट की पात्रता रखने से सही अलोटमेण्ट हुआ है और भूमि निजाई में विपक्षी को खातेदारी मिल चुकी है। विपक्षी व विपक्षी का परिवार कृषि पर ही आश्रित है। निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) कानूनन पोषणीय नही होने से खारिज किया जावे। प्रकरण सं. 143/92 निर्णय दिनांक 08.12.1995 के विरुद्ध अपील करने के संबंध में तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट प्राप्त हुयी जिसमे अंकित किया कि " तहसील कार्यालय जहाजपुर के राजस्व अनुभाग के रिकार्ड की जांच करने पर उक्त प्रकरण के संबंध में किसी प्रकार की अपील करने संबंधित दस्तावेज नही पाया गया है।"

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया कि श्री गजेन्द्र प्रसाद पिता रतनलाल महाजन निवासी पण्डेर को आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 05.08.1989 को ग्राम पण्डेर की आराजी नं. 4851/2 मी. से रकबा 6.05 बीघा किस्म बंजड द्वितीय कृषि प्रयोजन हेतु भूमि आवंटन की गयी। उक्त आवंटन के विरुद्ध राजकीय अधिवक्ता भीलवाडा द्वारा आवंटित भूमि विपक्षी के नाम गैर खातेदारी दर्ज होने से न्यायालय जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया जो क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत न्यायालय अपर जिला कलक्टर भीलवाडा को स्थानान्तरण से प्राप्त होकर प्रकरण सं. 143/92 दर्ज होकर सुनवायी की जाकर दिनांक 08.12.1995 को निर्णय पारित किया, जिसमें प्रार्थी राजकीय अधिवक्ता भीलवाडा का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार किया एवं विपक्षी के पक्ष में किया गया आवंटन यथावत रखा गया।

प्रकरण सं. 143/92 निर्णय दिनांक 08.12.1995 में राज्य के पक्ष के विपरीत निर्णय प्रसारित किया गया जिसके निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा को पत्रांक/आ.नि. 143/92 दिनांक 27.12.1995 से प्रेषित की गयी है। तहसीलदार जहाजपुर ने उक्त निर्णय दिनांक 08.12.1995 की अपील नहीं किया जाना प्रकट किया है।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 14(4) पर न्यायालय के प्रकरण संख्या 143/92 निर्णय दिनांक 08.12.1995 की अपील के संबंध में तहसीलदार जहाजपुर, जिला कलक्टर (विधि) से विधिक राय प्राप्त कर समुचित कार्यवाही के लिए स्वतंत्र हैं।

प्रकरण सं. 143/92 में ग्राम पण्डेर के आराजी नं. 4851/2 रकबा 6.05 बीघा किस्म बंजड़ द्वितीय भूमि श्री गजेन्द्र प्रसाद महाजन के नाम दिनांक 05.08.1989 को हुये आवंटन के संबंध में दिनांक 08.12.1995 को निर्णय हो जाने के पश्चात् आवंटनशुदा भूमि खातेदारी से दर्ज हो चुकी हैं।

आवंटित भूमि के खातेदारी दर्ज होने के पश्चात् भी यदि आवंटित भूमि का मिस रिप्रजेन्टेशन व फ़ॉड होना पाया जाता है तो इसके आधार पर राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)तहत आवंटन निरस्तीकरण कार्यवाही की जा सकती है।

इस प्रकरण में विपक्षी के नाम पर आवंटनशुदा भूमि खातेदारी दर्ज हैं। महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर के जांच प्रतिवेदन में बिन्दु संख्या 01 से लगायत 07 अनुसार विपक्षी के नाम किये गये भूमि के आवंटन को “मिस रिप्रजेन्टेशन व फ़ॉड” होने का निष्कर्ष अंकित किया है। विपक्षी की ओर से महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर के पत्रांक/भ्र.नि.ब्यूरो/अ.शा. 03/08/ 8241-43 दिनांक 17.10.2008 में अंकित अन्वेषण के बिन्दु संख्या 01 से लगायत 07 के खण्डन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य ठहरता है।  
अतएव—

## आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) भू-आवंटन निरस्तीकरण में विपक्षी के नाम पर आवंटनशुदा भूमि के संबंध में महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर के पत्रांक/भ्र.नि.ब्यूरो/अ.शा. 03/08/ 8241-43 दिनांक 17.10.2008 में जांच प्रतिवेदन के बिन्दु संख्या 01 से लगायत 07 के अनुसार भूमि का आवंटन मिस रिप्रजेन्टेशन व फ़ॉड होने का निष्कर्ष अंकित होने के परिपेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) भू-आवंटन निरस्तीकरण को स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 05.08.1989 को ग्राम पण्डेर की आराजी सं. 4851/2/40 संशोधित नं. 4851/52 रकबा 6.05 बीघा किस्म बंजड़ द्वितीय कृषि प्रयोजन हेतु किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार जहाजपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आवंटित भूमि को कब्जे सरकार लिया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किया जावे।

निर्णय की प्रति जिला कलक्टर महोदय (विधि) भीलवाड़ा, उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा, उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर एवं तहसीलदार जहाजपुर को उपरोक्त आदेशानुसार समुचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)  
अति. जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

